बच्चों को ज़िम्मेदारी सौंपना

अनिल एस अंगडिकि

हमारे ज़्यादातर शैक्षिक लक्ष्य या पाठ्यचर्यात्मक दिशा-निर्देश, शिक्षा के माध्यम से तार्किक सोच रखने वाले व्यक्तियों का विकास करने की बात करते हैं। यह बात साफ़ है कि इसकी ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक विद्यालय और उसके सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। लेकिन, जैसा कि कई शिक्षकों ने अनुभव किया है, इस विचार को अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। हममें से ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि बच्चों के विचारों को आकार देने में मदद करने वाले कई अभ्यासों को सुगम बनाने में शिक्षकों की एक अहम भूमिका है। हालाँकि देखभाल करने वाले लोग और संगी-साथी भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वह भी नियमित बातचीत के ज़रिए शिक्षकों से प्रभावित होते हैं। स्कूलों में आमतौर पर एक समग्र योजना होती है और इसे क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ और कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

अज़ीम प्रेमजी स्कूल, यादगीर में हमने एक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की, जिससे मेरे विचार में, विद्यालय के कई अन्य अभ्यासों को समर्थन मिला। जब हमने बच्चों के लिए एक स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण बनाना शुरू किया, हमें कई रूप में इसके लाभ मिलने लगे। जैसे बच्चों के साथ अच्छे सम्बन्ध; खुले विचार रखने वाले, आत्म-विश्वास से भरे बच्चे जो स्वतंत्र रूप से ख़ुद को अभिव्यक्त करने लगे और कक्षा में जो बात समझ में नहीं आती उसके बारे में सवाल पूछने लगे हैं। पर धीरे-धीरे, बच्चों के व्यवहार को सम्भालने में हमें कुछ चुनौतियाँ भी आने लगीं। जैसे बच्चों द्वारा अपने साथियों या उनके कार्य का सम्मान न करना, माता-पिता से ठीक से बात नहीं करना, कक्षा का काम पूरा न करना, कक्षा या सुबह की सभा में खलल डालना, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाना या दूसरों का सहयोग नहीं करना आदि आदि।

इन चुनौतियों पर आपस में चर्चा व दूसरे स्कूलों की विशेषज्ञता और अवलोकनों की मदद से हम पहले से चल रही संवाद-प्रक्रिया को और बढ़ाने एवं सुधारने में लग गए। इसके लिए बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, उनके माता-पिता, साथियों और कभी-कभी समूहों में बातचीत की जाती थी और इसके लिए विभिन्न तरीक़े अपनाए गए। कुछ हद तक, हमें इससे मदद मिली। लेकिन वे कक्षा में, असेम्बली या अन्य कार्यक्रमों में काफ़ी वक़्त लगाया करते थे। जब कुछ बच्चों ने इन संवादों को हल्के में लेना शुरू किया, तो कुछ और क़दम उठाए गए जैसे बच्चों द्वारा कक्षा के नियम बनाना और उनकी नियमित रूप से समीक्षा करना। बच्चों व उन अभिभावकों से मिला फ़ीडबैक जो अपने बच्चों के व्यवहार को दण्ड (वे घरों में ज़्यादातर ऐसा करते हैं) द्वारा नियंत्रण में रखने में असमर्थ हैं। कक्षा व दूसरी गतिविधियों में क़ीमती समय खोने जैसे हमारे अनुभव से हमें यह महसूस होने लगा कि बच्चों के साथ बातचीत के अलावा और भी कुछ करने की ज़रूरत है जिससे हमारा समय बचे। और सबसे ज़रूरी बात यह कि बच्चों में एक ज़िम्मेदारी की भावना आए।

अन्य स्कूलों में ऐसी चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनाए गए लोकतांत्रिक अभ्यासों को देख, हमारे मन में भी कुछ विचार आए। प्रभावी अभ्यासों में से एक को मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा। यह है प्रभावी ढंग से चुनाव कराना जिसमें सभी कक्षाओं से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और फिर निर्वाचित समिति की बैठकों के माध्यम से नियम बनाए जाते हैं। इस समिति द्वारा विद्यालय की दिनचर्या, चुनौतियों और ज़्यादातर व्यवहार सम्बन्धी पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। बच्चों को विद्यालय में प्रक्रियाओं और अनुशासन स्थापित करने की ज़िम्मेदारी वाली भूमिका में लाने का यह तरीक़ा अच्छा है और कई विद्यालय इसका उपयोग कर बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में सफल भी हुए होंगे। विद्यालय प्रशासन के इस मॉडल के कई फ़ायदे हैं।

हमने उन सभी अभ्यासों पर चर्चा करना शुरू की जिन्हें इस मॉडल को अपनाकर, प्रभावी ढंग से व्यवहार में लाया जा सकता है। इस बात पर हमारा विशेष ध्यान था कि कैसे हर एक बच्चे को विद्यालय की गतिविधियों में शामिल किया जाए। हमें लगा कि यह तरीक़ा अधिक प्रभावी होगा बनिस्बत चुनावी पद्धति के, जिसमें वोट डालने और प्रतिनिधियों को चुनने की ज़िम्मेदारी के बाद, बाक़ी विद्यार्थी लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं।

लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीक़ा है और मानव-स्वभाव में, मानव में और दूसरों के साथ कार्य करने में विश्वास पर बनाया गया अनुभव है। यह एक नैतिक आदर्श है जिसे बनाने के

लिए लोगों द्वारा प्रयास की आवश्यकता है। यह एक संस्थागत अवधारणा नहीं है जो हमसे अलग मौजूद हो। लोकतंत्र का कार्य हमेशा एक स्वतंत्र और बेहतर मानवीय अनुभव का निर्माण होता है जिसे सभी साझा करते हैं और जिसमें सभी योगदान देते हैं। (जॉन डिवी, रचनात्मक लोकतंत्र)

ऐसा करने के लिए, हमने ऐसी समितियों के गठन का फैसला किया, जिसमें विद्यालय के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो। इसमें विद्यालय संचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। उस वक़्त, यानि की लगभग छह साल पहले हमने एक अच्छा काम यह किया कि प्रत्येक समिति में सभी कक्षाओं के प्रतिनिधि शामिल थे, ताकि हर एक बच्चा और शिक्षक किसी-न-किसी समिति का हिस्सा ज़रूर हो। विद्यालय प्रक्रियाओं के प्रभावी कामकाज में सदस्यों की भूमिका, ज़िम्मेदारियों पर चर्चा करने और समझ बनाने के लिए हर हफ़्ते समितियों की बैठक होती, साथ ही इन बैठकों में नियम बनाए जाते, जिनका पालन सभी को करना होता था। शिक्षक समितियों का हिस्सा तो थे लेकिन उनका संचालन नहीं करते, केवल बैठकों के दौरान चर्चा का मार्गदर्शन करते, समिति के सदस्यों के बीच ज़िम्मेदारियाँ सौंपते और विद्यालय असेम्बली में समिति द्वारा लिए निर्णय और कार्य-प्रगति के बारे में सूचना देते।

समितियों के निर्माण व उसे कार्यशील बनाने हेतु बच्चों को लोकतांत्रिक प्रणाली में ढालने के लिए ज़रूरी प्रयासों को देखते हुए, इस विचार को लागू करना शुरूआत में हमें चुनौतीपूर्ण लगा था। हमने लॉटरी का तरीक़ा अपनाया ताकि प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में काम करने का अनुभव प्राप्त हो। समूहों का गठन दस कार्यों के अनुसार किया गया था। समूह हेतु समिति चुनने के लिए लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया गया। विद्यालय की मासिक बैठकों में, समूहों के बीच कार्यों को आपस में बदल दिया जाता था। इससे वर्ष के अन्त तक, हर व्यक्ति को सभी दस समितियों में काम करने का अवसर मिला। एक समिति के अन्तर्गत, एक विशेष ज़िम्मेदारी के साथ छोटे समूहों में साथ बैठना और फिर उस समिति को सुचारू रूप से चलाने पर काम करना, बच्चों और शिक्षकों के लिए बहुत रोमांचक था।

विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। इन क्षेत्रों को चुनने का उद्देश्य था, नए विचारों व सभी बच्चों की भागीदारी (हर कक्षा से) से इन क्षेत्रों में कार्यकुशलता लाना और इन कामों को डिज़ाइन करते हुए बच्चों को अधिक ज़िम्मेदार बनाना। दस समितियाँ और उनके कार्य निम्नलिखित हैं –

1. सभा समिति : विद्यालय में दैनिक सभाओं के लिए ज़िम्मेदार- सुबह की सभा, कक्षा की सभा, शिक्षकों की सभा, शाम की सभा।
2. भोजन समिति : बच्चों के लिए मिड-डे-मील (MDM) और अण्डे /दूध के लिए ज़िम्मेदार।
3. पुस्तकालय समिति : विद्यालय और कक्षा-पुस्तकालयों का प्रबन्धन।
4. विद्यालय उद्यान समिति : पेड़ों का रोपण और किचन-गार्डन का रख-रखाव।
5. खेल समिति : खेल-कूद के लिए ज़िम्मेदार।
6. स्वास्थ्य और सफ़ाई समिति : कक्षाओं, वॉशरूम, परिसर के अन्य क्षेत्रों की सफ़ाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए ज़िम्मेदार।
7. कार्यक्रम और उत्सव समिति : राष्ट्रीय त्यौहारों, विद्यालय के कार्यक्रमों जैसे *बाल-शोध मेला*, विषय-सप्ताह इत्यादि का प्रबन्धन।
8. सुरक्षा समिति : बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार, उदाहरण के लिए, गलियारे में चलते समय।
9. विद्यालय नियम समिति : विद्यालय और कक्षाओं में नियमों को बनाने और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए ज़िम्मेदार।
10. विद्यालय पर्यावरण समिति : कक्षा और बाहर के सुन्दरीकरण व सफ़ाई के लिए ज़िम्मेदार।

पिछले साल, दो समितियों - संख्या 9 और 10 को विलय करने का निर्णय लिया गया क्योंकि उनके काम लगभग समान थे। इसलिए, वर्तमान में केवल नौ कार्य-समितियाँ हैं।

हम कैसे लाभान्वित हुए

विद्यालय संचालन सुचारू हो गया। उदाहरण के लिए, परिसर को साफ़ रखने और सफ़ाई बनाए रखने के लिए, समिति के सदस्य, जो सभी कक्षाओं से थे, अपनी कक्षा में दूसरों को सफ़ाई बनाए रखने के लिए कहने लगे, उदाहरण के लिए - पेंसिल छीलते हुए डस्टबिन का उपयोग करने को कहना।

भोजन समिति के सदस्यों ने खाने के समय बैठने की व्यवस्था देखना शुरू कियाI वे भोजन बर्बाद करने वाले बच्चों पर निगरानी रखते, उनसे चर्चा करते व उन्हें सब्ज़ियाँ खाने के लिए प्रेरित करते। यह देखना दिलचस्प था कि छोटी कक्षाओं के बच्चे भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों व शिक्षकों पर निगरानी रखते कि वे सब्ज़ियाँ बर्बाद न करें। व्यंजन-सूची,

भोजन में इस्तेमाल सामग्री की मात्रा, विद्यार्थियों और स्टाफ़ की उपस्थिति और उस दिन बर्बाद हुए खाद्य पदार्थ को प्रदर्शित करने के अभ्यास ने जागरूकता पैदा की।

प्रतियोगिताओं और समारोहों से पहले चर्चा करना कि उन्हें सार्थक रूप से कैसे मनाया जा सकता है, दैनिक सभाओं की गतिविधियों में विविधता लाने पर चर्चा और सुरक्षा से सम्बन्धित प्रक्रियाओं पर चर्चा और उन पर निर्णय लेना, यह सभी बहुत उपयोगी थे। विद्यालय की नियम समिति द्वारा विद्यालय में सभी मौजूदा चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा के लिए मासिक बैठक आयोजित की जाती थी जो *महासभा* कहलाती। इन बैठकों में बच्चों के व्यवहार के बारे में शिकायतों के साथ-साथ, बच्चों द्वारा कुछ दिलचस्प चर्चाएँ और माँगें भी सामने आती थीं। उदाहरण के लिए, गुरुवार को परोसा जाने वाला *बीसी बेले भात*, जो किसी भी बच्चे को पसन्द नहीं था, उसे व्यंजन-सूची से हटाने की माँग; या फिर यह पूछना कि सैंडल के बजाय जूते क्यों नहीं दिए जाते हैं; या बच्चों को हिन्दी केवल कक्षा छह से ही क्यों सिखाई जाती है, शुरुआती कक्षा में क्यों नहीं; और सप्ताह में पुस्तकालय और खेल की ज़्यादा कक्षाओं की भी एक माँग आई।

हमें बच्चों में सहयोग, समन्वय, स्वामित्व, ज़िम्मेदारी, भागीदारी और प्रतिबद्धता आदि से सम्बन्धित सकारात्मक बदलाव दिखने लगे, और देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक से यही सब गुण अपेक्षित हैं। हाल ही में हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक विद्यार्थी का भाषण सुनकर मुझे बड़ी ख़ुशी हुई, वह हमारे विद्यालय में नियमों की स्थापना और समितियों के कामकाज की तुलना भारतीय संविधान से कर रहा था। यह दर्शाता है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हैं।



अनिल एस अंगडिकि, 2012 से अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन के साथ हैं। वे अज़ीम प्रेमजी स्कूल, यादगीर,कर्नाटक में काम करते हैं। उनसे anil.angadiki@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अनुवाद : सात्विका ओहरी

नागरिकता की शिक्षा कम समय में नहीं दी जा सकती। इसे समय के साथ लगातार और बार-बार करना पड़ता है। अलग-अलग समूहों में अलग-अलग विचार/अवधारणाएँ कारगर होती हैं। कौन-सा तरीक़ा सफल होगा, कौन-सा नहीं, इसका कोई पैटर्न नहीं है।

- उमाशंकर पेरिओडी, रचनात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से नागरिकता, पेज 113